समाचार.प्रकाषनार्थरू.

बसंत पंचमी पर आज धूमधाम से मनाया जायेगा रतलाम नगर गौरव दिवस

रतलाम 04 फरवरी । नगर निगम रतलाम व रतलाम स्थापना महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज 5 फरवरी षनिवार को प्रातः 10ः00 बजे नगर निगम तिराहे पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यप के मुख्य आतिथ्य में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलन कर रतलाम स्थापना से आज तक पर प्रदर्षनी का षुभारंभ किया जायेगा तत्पष्चात् नगर निगम तिराहे पर स्थापित रतलाम राज्य के जनक महाराजा रतनसिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पणए आतिषबाजी कर मिठाई वितरण किया जायेगा। रतलाम नगर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में सांय 6ः30 बजे गुलाब चक्कर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा जिसमें जनप्रतिनिधिए गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेगे।

निगम के फ्रंट लाईन कर्मचारियों ने लिया आपदा प्रबंधन प्रषिक्षण

रतलाम 04 फरवरी । नगर निगम के फ्रंट लाईन कर्मचारियों को आपदा व महामारी प्रबंधन ;डिजास्टर मैनेजमेंटद्ध का प्रषिक्षण एसडीआरएफ मध्यप्रदेष की टीम द्वारा पोलोग्राउण्ड स्थित डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन परिसर में दिया गया।
आयोजित प्रषिक्षण में प्लाटून कमांडर ज्योति बघेल व बद्रीलाल मंडलोई ने बताया कि आपदा ऐसी घटना है जो कभी भी घट सकती है। आपदा दो प्रकार की होती है पहली प्राकृतिक व दूसरी मानव जनित। उन्होने कर्मचारियों को बाढ़ए आगजनिए महामारी में किस प्रकार से आपदा प्रबंधन किया जाता है का प्रषिक्षण सुरक्षा उपकरणों के साथ विस्तृत रूप से देते हुए कहा कि आपदा के समय में सभी विभागों को मिलकर कार्य करना चाहिये।

इस अवसर पर उन्होने बताया कि सीवर चैम्बरए बंद नालोए कुओंए बावड़ियों की सफाई के पहले उसमें माचिस की तिली जलाकर डालें यदि वह तुरंत बुझ जाती है तो यह समझ लें कि यहां पर ऑक्सीजन की कमी है व अन्य जहरीली गैसें है। इस कार्य को बिना सुरक्षा उपकरण के ना करें। उन्होने घरेलू गैस सिलेण्डर में आग लगनेए गैस रिसाव के निपटान के तरीकों से भी अवगत कराया।
इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री मोहम्मद हनीफ षेखए स्वास्थ्य अधिकारी श्री जीण्केण जायसवालए झोन प्रभारी श्री किरण चौहानए श्री विनय चौहान सहित फ्रंट लाईन कमचारी उपस्थित थे।

नगर निगम के विभिन्न करों से 6ण63 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 04 फरवरी । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 04 फरवरी षुक्रवार को कुल राषि रूपये 6ए63ए134ध् का राजस्व प्राप्त हुआ।
नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 04 फरवरी षुक्रवार को संपत्तिकर षिविर से 256070ए कार्यालय 192052ए वसूली दल 15493 कुल 463615ए जलकर षिविर 41435ए वसूली कार्यालय 112995 कुल 154430ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय 17458 व वसूली दल 27634 कुल 45092 इस तरह कुल राषि रूपये 6ए63ए137ध् का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध
रतलाम 04 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा।

इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

किरण टॉकिज जूनी कोर्ट के पास आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 65ण्29 लाख व जलकर 14ण्87 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 04 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822६ व जलकर 54ए850६.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575६ व जलकर 34ए520६.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013६ व जलकर 63ए450६.ए विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292६ व जलकर 1ए19ए720६.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857६ व जलकर 62ए950६.ए तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977६ व जलकर 28ए870६.ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000६ व जलकर 14ए000६.ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600६ व जलकर 1ए04ए640६.ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206६ व जलकर 1ए21ए090६.ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए14ए000६ व जलकर 47ए000६.ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422६ व जलकर 83ए700६.ए हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500६ व जलकर 27ए540६.ए कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281६ व जलकर 40ए240६.ए राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000६ व जलकर 31ए760६.ए काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077६ व जलकर 72ए440६.ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534६ व जलकर 37ए465६.ए कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए732६ व जलकर 36ए660६.ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455६ व जलकर 92ए125६.ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298६ व जलकर 64ए770६.ए रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर 1ए59ए241६ व जलकर 28ए140६.ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920६ व जलकर 1ए56ए600६.ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 3ए60ए338६ व जलकर 1ए67ए280६.ए किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर 2ए56ए070६ व जलकर 41ए435६ की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

9805 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 04 फरवरी । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 04 फरवरी तक 9805 पंेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 98 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

04 फरवरी को 1ए90 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 04 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 04 फरवरी षुक्रवार को 1ए90 मिट्रिक कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

04 फरवरी षुक्रवार को डम्पर से 32935ए टेª क्टर से 4640ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 15005ए काम्पेक्टर गीला कचरा 20825ए डम्पर मलबा 116645 किलो इस तरह कुल 190050 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

3091 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 104 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 04 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 193 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 102 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 04 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें
रतलाम 04 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिशठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल

डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्04ण्02ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण